	राजस्थान राज-पत्र िवशेषांक	Extraordinary
	सािधकार प्रकािशत	Published by Authority
	फाʎुन 11, शिनवार, शाके 1940 & माचŊ 2, 2019	
	Phalguna 11, Saturday, Saka 1940- March 2, 2019	

भाग 4 (क)

राजस्थान िवधान मंडल के अिधिनयम।

िविध (िवधायी प्राɛपण) िवभाग

(ग्रुप-2)

अिधसूचना

जयपुर, माचŊ 2, 2019

संƥा प.2(10)िविध/2/2019:– राजस्थान राǛ िवधान-मǷल का िनɻांिकत अिधिनयम, िजसे राǛपाल महोदय की अनुमित िदनांक 01 माचŊ, 2019 को प्राɑ ȱई, एतȠ्वारा सवŊसाधारण की सूचनाथŊ प्रकािशत िकया जाता है:- **हįरदेव जोशी पत्रकाįरता और जनसंचार िवʷिवȨालय, जयपुर अिधिनयम, 2019**

(2019 का अिधिनयम संƥांक 11)

[राǛपाल महोदय की अनुमित िदनांक 1 माचŊ, 2019 को प्राɑ ȱई]राजस्थान राǛ मŐ जयपुर मŐ हįरदेव जोशी पत्रकाįरता और जनसंचार िवʷिवȨालय स्थािपत और िनगिमत करने के िलए और उससे संसƅ या आनुषंिगक िवषयों के िलए उपबंध करने के िलए अिधिनयम ।

भारत गणराǛ के सȅरवŐ वषŊ मŐ राजस्थान राǛ िवधान-मǷल िनɻिलिखत अिधिनयम बनाता है:-

1. **संिƗɑ नाम, प्रसार और प्रारʁ.-** (1) इस अिधिनयम का नाम हįरदेव जोशी पत्रकाįरता और जनसंचार िवʷिवȨालय, जयपुर अिधिनयम, 2019 है ।

(2)इसका प्रसार सɼूणŊ राजस्थान राǛ मŐ होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृȅ होगा ।

2. **पįरभाषाएं.-** इस अिधिनयम मŐ जब तक िक िवषय या संदभŊ से अɊथा अपेिƗत न हो,–

(क)"िवȨा पįरषद्" से धारा 25 के अधीन यथागिठत िवʷिवȨालय की िवȨा पįरषद् अिभप्रेत है;

(ख)"सलाहकार पįरषद्" से धारा 21 के अधीन गिठत िवʷिवȨालय सलाहकार पįरषद् अिभप्रेत है;

(ग)"बोडŊ" से धारा 23 के अधीन गिठत िवʷिवȨालय का प्रबंध बोडŊ अिभप्रेत है;

(घ)"िनयंत्रक" से धारा 16 के अधीन िनयुƅ िवʷिवȨालय का िवȅ अिधकारी अिभप्रेत है;

(ङ)"संकाय" से िवʷिवȨालय का कोई संकाय अिभप्रेत है;

(च)"िवȅ सिमित" से धारा 29 के अधीन गिठत िवʷिवȨालय की िवȅ सिमित अिभप्रेत है;

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, माचर् 2, 2019 65(2)

(छ)"िविहत" से पįरिनयमों, अिाडŊनेȸों या िविनयमों Ȫारा िविहत अिभप्रेत है;

(ज)"प्रित-कुलपित" से धारा 14 के अधीन िनयुb िवश्िवEालय का प्रित-कुलपित अिभप्रेत है;

(झ)"कुल-सिचव" से धारा 15 के अधीन िनयुb िवश्िवEालय का कुल-सिचव अिभप्रेत है;

(ञ)"पiरिनयम", "आिडDनेR" और "िविनयम" से धारा 44, 46 और 48 के अधीन बनाये गये िवश्िवEालय के क्रमशः पiरिनयम, आिडDनेR और िविनयम अिभप्रेत है;

(ट)"िवश्िवEालय का छात्र" से ऐसा fŋİb, जो सJक् ŝप से संस्थित िकसी उपािध, िड१ोमा या अQ िवEा संबंधी उपािध के िलए पाOक्रमानुसार अध्ययन हेतु िवश्िवEालय मŐ नामांिकत हो, अिभप्रेत है;

(ठ)"अध्यापक" से िशI◌ा प्रदान करने या अनुसंधान का संचालन और मागDदशDन करने के प्रयोजन के िलए िवश्िवEालय Ő◌ारा िनयुb

या माQ कोई fŋİb अिभप्रेत है और इसमŐ पiरिनयमों Ő◌ारा अध्यापाक के ŝप मŐ घोिषत कोई fŋİb भी सJिलत है;

(ड)"िवश्िवEालय" के धारा 3 के अधीन िनगिमत हiरदेव जोशी पत्रकाiरता और जनसंचार िवश्िवEालय, जयपुर अिभप्रेत है; और

(ढ)"िवश्िवEालय िवभाग" से िवश्िवEालय Ő◌ारा संधाiरत कोई िवभाग अिभप्रेत है ।

3. िवश्िवEालय का िनगमन.- (1) िवश्िवEालय के, कुलािधपित, प्रथम कुलपित, प्रबंध बोडD और िवEा पiरषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे समस्त fŋİb, जो इसके पश्चात् ऐसे अिधकारी या सदस्य हो जाते हœ, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण िकये रहते हœ, "हiरदेव जोशी पत्रकाiरता और जनसंचार िवश्िवEालय, जयपुर" के नाम से एक िनगिमत िनकाय का गठन करŐगे और उसका शाश्वत उǄरािधकार और एक सामाQ मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(2) िवश्िवEालय, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सJिǄ अिजDत और धाiरत करने, िकसी भी जंगम या स्थावर सJिǄ को, जो िवश्िवEालय के प्रयोजनों के िलए उसमŐ िनिहत हो या उसकेŐ◌ारा अिजDत हों, पŭ◌ाकृत, िवक्रीत या अQथा अंतiरत या fŋियनत करने और संिवदा करने और इस अिधिनयम के प्रयोजनों के िलए आवश्यक अQ समस्त बातŐ करने के िलए सIम होगाः

परȶु ऐसी सJिǄ का ऐसा कोई भी पŭ◌ा, िवक्रय, अंतरण या fŋयन राǛ सरकार के पूवD अनुमोदन के िबना नहीं िकया जायेगा ।

(3)िवश्िवEालय का मुƥ◌ालय जयपुर मŐ होगा जो कुलपित का मुƥ◌ालय होगा ।

(4) िवश्िवEालय Ő◌ारा या इसके िवŜı वादों और अQ िविधक कायDवािहयों मŐ अिभवचन, कुल-सिचव Ő◌ारा हस्ताIiरत और सJािपत िकये

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, माचर् 2, 2019 65(3)

जायŐगे और ऐसे वादों और कायDवािहयों मŐ समस्त आदेिशकाएं कुल-सिचव को जारी और उस पर तामील की जायŐगी।

4. अिधकाiरता.- िवश्िवEालय की अिधकाiरता का प्रसार

िवश्िवĘालय िवभागों और इसके संस्थानों और संस्थाओं मő होगा और उनमő इस अिधिनयम के ŀारा या अधीन प्रदėशिäयां उसके ŀारा प्रयोग की जा सकőगी ।

5. **िवश्िवĘालय के उĞेश्य.-** िवश्िवĘालय, अǪ प्रयोजनों के साथ-साथ, िनॖिलिखत प्रयोजनों के िलए स्थािपत और िनगिमत िकया Šआ समझा जायेगा – (i)

पत्रकािरता और जनसंचार के İेत्र और, अनुप्रयुä सूचना प्रौĘोिगकी सिहत, सहबĀİेत्रों मő अċापन, प्रिशİण और अनुसंधान के राʼŌीय केŢ के ŝप मő िवश्िवĘालय को िवकिसत करना;

(ii) पत्रकािरता और जनसंचार और, अनुप्रयुä सूचना प्रौĘोिगकी सिहत अनुप्रयुä İेत्रों मő िशİण और अनुसंधान सुिवधाएं उपलɩ करवाकर ǒान का प्रसार और उसका अिभवधŊन करना; और

(iii) उǽृʼ वृिėक िवकिसत करना ।

6. **िवश्िवĘालय मő प्रवेश.-** (1)िवश्िवĘालय, इस अिधिनयम, पिरिनयमों, आडŊने� और िविनयमों के उपबंधो के अċधीन रहते Šए, सभी ʩİäयों के िलए खुला रहेगा ।

(2) उप-धारा (1) मő अंतिवŊʼ िकसी बात के होते Šए भी िवश्िवĘालय से -

(क)िकसी भी पाǬक्रम मő ऐसे िकसी भी ʩİä को, जो िविहत शैİिणक अहŊता या ·रमान नहीं रखता है, प्रवेश िदया जाना; या

(ख)िवश्िवĘालय की नामाविलयों पर ऐसे िकसी छात्र को, िजसका शैİिणक अिभलेख कोई उपािध, िडɘोमा या अǪ िवĘा संबंधी उपािध प्रदान िकये जाने के िलए Ɋूनतम मानक ·रमान से कम हो, रखे रखना; या

(ग)ऐसे िकसी ʩİä या िकसी छात्र को, िजसका आचरण िवश्िवĘालय के िहतों या अनुशासन के या अǪ छात्रों और कमŊचािरयों के अिधकारों और िवशेषािधकारों के प्रितकूल हो, प्रवेश देना या रखे रखना; या

(घ)िकसी भी पाǬक्रम मő, िविहत से अिधक संƥा मő छात्रों को प्रवेश िदया जाना,

अपेिİत नहीं होगा ।

(3) उप-धारा (2) के उपबंधों के अċधीन रहते Šए, अनुसूिचत जाितयों, अनुसूिचत जनजाितयोँ और िपछड़े वगŘ, अित िपछड़े वगŘ के छात्रों और छात्राओं के िलए प्रवेश मő स्थानों का आरİण तȖमय प्रवृė िकसी िविध के उपबंधों के अनुसार या राǛ सरकार की नीित के अनुसार िकया जायेगा ।

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, माचर् 2, 2019 65(4)

7. **िवश्िवĘालय की शिäयां और कृȑ.-** िवश्िवĘालय की िनॖिलिखत शिäयां और कृȑ होंगे, अथाŊत्:–

(क)िवश्िवĘालय का प्रशासन और प्रबंध करना;

(ख)िवĘा की ऐसी शाखाओं मő, िजȠő िवश्िवĘालय समय-समय पर अवधािरत करे, िशİा प्रदान करने की ʩवस्था करना और

अनुसंधान के िलए और ǒान के अिभवधŊन और प्रसार के िलए
ऐसे उपबंध करना जो िवʷिवȨालय के उȞेʴों को अग्रसर
करने के िलए आवʴक हों;

(ग)पाǏक्रमानुसार अȯयन और पाǏक्रम िविहत करना और
िशƗा पȠितयों और प्रदान करने की कायŊपȠितयों मŐ लचीलेपन
के िलए उपबंध करना;

(घ)राǛ सरकार के पूवŊ अनुमोदन से, अनुसंधान और िशƗा के िलए
ऐसे केȾ, या अɊ इकाइयां स्थािपत करना जो िवʷिवȨालय की
राय मŐ उसके उȞेʴों को अग्रसर करने के िलए आवʴक हों;

(ङ)दूरस्थ िशƗा पȠित के माȯम से ऐसे ʩİƅयों को सुिवधाएं
उपलɩ कराना, जो यह अवधाįरत करे;

(च)पįरिनयमों Ȫारा िविहत रीित से उपािधयां, िडɘोमे और अɊ
िवȨा संबंधी उपािधयां और पुरˋार संİस्थत और प्रदान करना;

(छ)अȯेतावृिȅयां, छात्रवृिȅयां, पुरˋार, पदक और अɊ पुरˋार
संİस्थत और प्रदान करना;

(ज)समान या समǽप उȞेʴों वाले अɊ िवʷिवȨालयों, संस्थाओं
और प्रािधकाįरयों के साथ सहयोग और सहयोजन करना,
जैसािक िवʷिवȨालय अवधाįरत करे;

(झ)िवʷिवȨालय Ȫारा उपलɩ कराये गये पाǏक्रमों मŐ, िविहत
रीित से छात्रों को प्रवेश देना;

(ञ)ऐसी फीस और अɊ प्रभारों को िनयत करना, उनकी मांग करना
और प्राɑ करना या वसूल करना, जो िविहत िकये जायŐ;

(ट)िवʷिवȨालय Ȫारा अपेिƗत अȯापन, अनुसंधान और अɊ पदों
पर संİस्थत करना और उन पर िनयुİƅयां करना;

(ठ)प्रशासिनक, िलिपकवगȸय और अɊ आवʴक पदों का सृजन
करना और उन पर िनयुİƅयां करना;

(ड)समˑ प्रवगŘ के कमŊचाįरयों की, उनकी आचार संिहता को
सİɄिलत करते Šए, सेवा की शतŒ अिधकिथत करना;

(ढ)छात्रों और कमŊचाįरयों के समˑ प्रवगŘ मŐ अनुशासन िविनयिमत
और प्रवितŊत करना और इस संबंध मŐ ऐसे अनुशासिनक उपाय
करना जो िविहत िकये जायŐ या िवʷिवȨालयȪारा आवʴक
समझे जायŐ;

(ण)छात्रों के िनवास के िलए हाल और छात्रावास और िवʷिवȨालय
के संकायों, अिधकाįरयों और कमŊचाįरयों के िलए वास-सुिवधा

और अितिथ गृह स्थािपत, संधाįरत करना और उनका प्रबंध
करना;

(त)छात्रों और कमŊचाįरयों के ˢा˖ और सामाɊ कʞाण का
प्रोɄयन करने के िलए ʩवस्था करना;

(थ)िवʷिवȨालय के ʩय को िविनयिमत करना और िवȅ का प्रबंध
करना और लेखे रखना;

(द)िवʷिवȨालय के प्रयोजन के िलए और उन उȞेʴों से, िजनके

िलए िवश्िवद्यालय स्थािपत िकया गया है, संगत अनुदान, आिथDक सहायता, अिभदान, संदान और दान प्राa करना और िकYीं भी अनुदानों को प्राa करने के िलए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार,
िवश्िवद्यालय अनुदान आयोग या अq प्रािधकािरयों और िनकायों के साथ करार करना;

(ध)राज्य सरकार के पूवD अनुमोदन से ऐसे िनबन्धनों और शतŘ पर, जो िवश्िवद्यालय ठीक और उिचत समझे, ऐसी भूिम या भवन संकमD को जो िवश्िवद्यालय के प्रयोजन के िलए आवश्क हो, क्रय करना, अिजDत करना, उनका fiयन करना और िकYीं भी ऐसे भवनों या संकमŘ का सिÐमाDण, पिरवतDन और संधारण करना;

(न)राज्य सरकार की पूवD अनुज्ञा प्राa करने के पश्चात् िवश्िवद्यालय की या िवश्िवद्यालय के प्रयोजन के िलए अिजDत की जाने वाली आिÿयों के संबंध मŐ अंतरण, बंधक, पट्टे, अनुज्ञिaयां, करार और अq हस्तांतरण-पत्र िनष्पािदत करना;

(प) राज्य सरकार के पूवD अनुमोदन से, िवश्िवद्यालय की संपिē की प्रितभूित पर, िवश्िवद्यालय के प्रयोजनों के िलए धन उधार लेना; और

(फ) ऐसे सम· अq कायD और बातŐ करना िजYŐ िवश्िवद्यालय, िवश्िवद्यालय के सम· या िकYीं भी उĦेश्यों को प्राa करने या अग्रसर करने के िलए आवश्क, सहायक या आनुषंिगक समझे। 8.

कुलािधपित.- (1) राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपने पद के आधारपर िवश्िवद्यालय का कुलािधपित होगा।

(2) कुलािधपित िवश्िवद्यालय का प्रधान होगा और उपिस्थत होने पर, िवश्िवद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उपािधयां, िडप्लोमे या अq िवद्या संबंधी उपािधयां उYŐ प्राa करने के हकदार व्यिक्तयों को प्रदान करेगा ।

(3) कुलािधपित स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, िकसी भी कायDवाही के संबंध मŐ, ऐसी कायDवाही की िनयिमतता या उसमŐ िकये गये िकसी भी िविनश्चय या आदेश के सही होने, उसकी वैधता या औिचत्य के िवषय मŐ अपना समाधान करने के िलए िवश्िवद्यालय के िकसी भी अिधकारी या प्रािधकारी का अिभलेख मंगवा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा; और यिद िकसी भी मामले मŐ कुलािधपित को यह प्रतीत होता है िक िकसी ऐसे िविनश्चय या आदेश को

उपांतिरत, बाितल िकया जाना, उलटा जाना, या पुनिवDचार के िलए वापस भेजा जाना चािहए तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगा;

परन्तु इस धारा के अधीन शिक्तयों का प्रयोग करने के िलए कुलािधपित को प्रत्येक आवेदन उस तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर िकया जायेगा िजसको वह कायDवाही, िविनश्चय या आदेश िजससे िक आवेदन संबंिधत है, आवेदक को संसूिचत िकया गया था;

परन्तु यह और िक िकसी व्यिक्त पर प्रितकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी

आदेश तब तक पाįरत नहीं िकया जायेगा जब तक िक ऐसे ƞİb को अपना अǉावेदन प्र·ुत करने का अवसर न दे िदया गया हो।

(4) कुलािधपित ऐसी अɊ शİbयों का प्रयोग और ऐसे अɊ कृȑो ं का पालन करेगा जो इस अिधिनयम के अधीन या Ȫारा उसे प्रदȅ या समनुदेिशत िकये जायŐ ।

9. **िनरीƕण.- (1)** कुलािधपित को, ऐसे ƞİb या ƞİbयों Ȫारा, जैसा वह िनदेश दे-

(क)िवʷिवȨालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पु·कालयों, संग्रहालयों, कायŊशालाओं और उप`रों का; या

(ख)िवʷिवȨालय Ȫारा संधाįरत िकसी संस्थान, संस्था या छात्रावास का; या

(ग)िवʷिवȨालय Ȫारा संचािलत या िकये जा रहे अȯापन और अɊ कायŊ का; या

(घ)िवʷिवȨालय Ȫारा आयोिजत िकसी भी परीƕा के संचालन का, िनरीƕण करवाने का अिधकार होगा ।

(2) कुलािधपित को िवʷिवȨालय से संबंिधत िकसी भी मामले के संबंध मŐ ऐसे ƞİb या ƞİbयों से, जैसा वह िनदेश दे, जांच करवाने का भी अिधकार होगा ।

(3) कुलािधपित, प्रȑेक मामले मŐ िकये जाने वाले िनरीƕण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे मŐ िवʷिवȨालय को सूचना देगा और िवʷिवȨालय ऐसे िनरीƕण या जांच मŐ प्रितिनिधȕ िकये जाने का हकदार होगा ।

(4) कुलािधपित, िवʷिवȨालय को ऐसी जांच या िनरीƕण के पįरणाम के संबंध मŐ अपने िवचारों से संसूिचत करेगा और उन पर िवʷिवȨालय की राय अिभिनʮत करने के पʮात् की जाने वाली कारŊवाई के बारे मŐ िवʷिवȨालय को सलाह दे सकेगा और ऐसी कारŊवाई करने के िलए समय सीमा िनयत कर सकेगा ।

(5) िवʷिवȨालय, इस प्रकार िनयत समय सीमा के भीतर, कुलािधपित Ȫारा दी गयी सलाह पर की गयी या िकये जाने के िलए प्र·ािवत कारŊवाई के बारे मŐ कुलािधपित को įरपोटŊ देगा ।

(6) यिद िवʷिवȨालय िनधाŊįरत समय सीमा के भीतर कारŊवाई नहीं करता है या यिद कुलािधपित की राय मŐ, िवʷिवȨालय Ȫारा की गयी कारŊवाई

समाधानप्रद नहीं है तो कुलािधपित िवʷिवȨालय Ȫारा िदये गये िकसी ˙ʼीकरण पर या िकये गये अǉावेदन पर िवचार करने के पʮात् ऐसे िनदेश जारी कर सकेगा जैसा वह उिचत समझे और िवʷिवȨालय ऐसे िनदेशों का पालन करेगा ।

(7) यिद िवʷिवȨालय, उप-धारा (6) के अनुसार जारी िकये गये िनदेशों का, ऐसी िनयत समय सीमा के भीतर, जो इस िनिमȅ कुलािधपित Ȫारा िनयत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलािधपित को ऐसे िनदेशों का िक्रयाɋयन कराने के िलए िकसी ƞİb या िनकाय को िनयुƅ करने की और

ऐसे आदेश करने की शिb होगी जो उसके ftयों के िलए आवश्क हों ।

10. **िवश्िवĘालय के अिधकारी और प्रािधकारी.-** िवश्िवĘालय के अिधकारी और प्रािधकारी िनłिलिखत होंगे, अथाŊत्:-

(क)िवश्िवĘालय के अिधकारी -

(i) कुलपित;

(ii) प्रित-कुलपित;

(iii) कुल-सिचव;

(iv) िनयंत्रक;

(v) संपदा अिधकारी;

(vi) छात्र कʞाण संकायाȯƗ;

(vii)संकायों के संकायाȯƗ; और

(viii)िवश्िवĘालय की सेवा मŐ के ऐसे अɊ ftिb िजɎŐ पįरिनयमों Ȫारा िवश्िवĘालय के अिधकारी होना घोिषत िकया जाये ।

(ख)िवश्िवĘालय के प्रािधकारी –

1. सलाहकार पįरषद्;
2. प्रबंध बोडŊ;
3. िवĘा पįरषद्;
4. संकाय;
5. अȯयन बोडŊ;
6. िवȅ सिमित; और
7. ऐसे अɊ प्रािधकारी िजɎŐ पįरिनयमों Ȫारा िवश्िवĘालय के प्रािधकारी होना घोिषत िकया जाये ।

11. **कुलपित.-** (1) कुलपित िवश्िवĘालय का पूणŊकािलक वैतिनक अिधकारी होगा ।

(2) कोई भी ftिb, कुलपित के ŝप मŐ िनयुb िकये जाने के िलए पात्र नहीं होगा जब तक िक वह िकसी िवश्िवĘालय या महािवĘालय मŐ आचायŊ के ŝप मŐ Ɋूनतम दस वषŊ का अनुभव रखने वाला या िकसी प्रितिʿत शोध और/ या शैƗिणक प्रशासिनक संगठन मŐ िकसी समकƗ पद पर दस वषŊ का अनुभव रखने वाला और सƗमता, सȑिनʿा, नैितक आचार और संस्थािनक प्रितबȠता के उǄतम ˑर वाला कोई प्रƥात िशƗािवद् न हो ।

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, माचर् 2, 2019 65(8)

(3) कुलपित, िनłिलिखत सदˣों से िमलकर बनी खोजबीन सिमित Ȫारा िसफाįरश िकये गये पैनल मŐ सिʃिलत ftिbयों मŐ से, राǛ सरकार के परामशŊ से, कुलािधपित Ȫारा िनयुb िकया जायेगा –

(क) बोडŊ Ȫारा नामिनदőिशत एक ftिb;

(ख) िवश्िवĘालय अनुदान आयोग के अȯƗ Ȫारा नामिनदőिशत एक ftिb;

(ग) कुलािधपित Ȫारा नामिनदőिशत एक ftिb; और

(घ) सरकार Ȫारा नामिनदőिशत एक ftिb, और कुलािधपित, इनमŐ से िकसी एकftिb को सिमित का अȯƗ िनयुb करेगा ।

(4) िवश्िवĘालय और उसके महािवĘालयों से असंबȠ उǄतर िशƗा Ɨेत्र का कोई िवƥात ftिb ही खोजबीन सिमित के सदˣ के ŝप मŐ

नामिनदर्ľिशत िकये जाने के िलए पात्र होगा।

(5) खोजबीन सिमित, कुलपित के ȣप मŐ िनयुƅ िकये जाने के िलए कम से कम तीन ʩİƅयों का और अिधकतम पांच ʩİƅयों का एक पैनल तैयार करेगी और उसकी िसफाįरश करेगी ।

(6) कुलपित के चयन के प्रयोजन के िलए खोजबीन सिमित, लोक सूचना के माȯम से पात्र ʩİƅयों से आवेदन आमंित्रत करेगी और कुलपित के ȣप मŐ िनयुƅ िकये जाने वाले ʩİƅयों के नामों पर िवचार करते समय, खोजबीन सिमित, शैिƗणक उǽृʼता, देश मŐ उǄतर िशƗा प्रणाली मŐ प्रदशŊन और शैिƗणक तथा प्रशासिनक शासन मŐ पयाŊɑ अनुभव को उिचत महȕ देगी और अपने िनʺषŘ को लेखबȠ करेगी और उɎŐ कुलािधपित को प्र˥ुत िकये जाने वाले पैनल के साथ संलư करेगी ।

(7) कुलपित की पदाविध उस तारीख से, िजसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वषŊ या उसके सȅर वषŊ की आयु प्राɑ कर लेने तक, इनमŐ से जो भी पहले हो, होगी;

परȶु वही ʩİƅ दूसरी अविध के िलए पुनिनŊयुİƅ का पात्र होगा ।

(8) कुलपित, ऐसा वेतन और भȅे प्राɑ करेगा जो राǛ सरकार Ȫारा अवधाįरत िकये जायŐ । इसके अितįरƅ, वह िवʷिवȨालय Ȫारा संधाįरत िनःशुʋ सुसİǔत िनवास और ऐसी अɊ पįरलİɩयों का हकदार होगा जो िविहत की जायŐ ।

(9) जब कुलपित के पद की कोई स्थायी įरİƅ उसकी मृȑु, ȑागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदाविध समाɑ हो जाने के कारण हो जाये तो वह įरİƅ कुलािधपित Ȫारा, उप-धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके Ȫारा, उप-धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ ʩवस्था की जायेगी ।

(10) जब कुलपित के पद की कोई अस्थायी įरİƅ छुǥी, िनलंबन के कारण या अɊथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ ʩवस्था आवʴक हो तब कुल-सिचव मामले की įरपोटŊ तुरंत कुलािधपित को

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, माचर् 2, 2019 65(9)

करेगा, जो राǛ सरकार की सलाह से कुलपित के पद के कृȑों के, राǛ-िवʷिवȨालय के िकसी भी अɊ कुलपित Ȫारा, िनवŊहन के िलए ʩवस्था करेगा । (11) कुलपित िकसी भी समय, अपना ȑागपत्र ऐसी तारीख से, िजसको वह पदभार से मुƅ होने का इǅुक हो, कम से कम साठ िदवस पूवŊ कुलािधपित को प्र˥ुत करके, पद का ȑाग कर सकेगा ।

(12) ऐसा ȑागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलािधपित Ȫारा अवधाįरत की जाये और िजसकी सूचना कुलपित को दी जाये ।

(13) जहां, कुलपित के ȣप मŐ िनयुƅ कोई ʩİƅ, ऐसी िनयुİƅ के पूवŊ िकसी अɊ महािवȨालय, संस्था या िवʷिवȨालय मŐ िनयोिजत था, वहां वह उस भिव' िनिध मŐ अंशदान करना जारी रख सकेगा िजसका वह ऐसे िनयोजन मŐ सदˢ था और िवʷिवȨालय उस भिव' िनिध मŐ ऐसे ʩİƅ के लेखे मŐ अंशदान करेगा ।

(14) जहां कुलपित, उसके पूवŊवतŎ िनयोजन मŐ, िकसी बीमा या पŐशन `ीम का सदˢ रहा हो, वहां िवʷिवȨालय, ऐसी `ीम मŐ आवʴक

अंशदान करेगा ।

(15) कुलपित, ऐसी दरों पर जैसी िक बोडŊ Ȫारा िनयत की जायŐ, यात्रा और दैिनक भȅे का हकदार होगा ।

(16) कुलपित, िनɻानुसार छुǥी का हकदार होगाः-

(क) Ůȑेक ƶारह िदवस की वाˢिवक सेवा के िलए एक िदवस की दर से पूणŊवैतिनक छुǥी; और

(ख) सेवा के Ůȑेक पूणŊ वषŊ के िलए बीस िदवस की दर से अधŊवैतिनक छुǥी;

परȶु िचिकȖा प्रमाणपत्र Ůˑुत करने पर अधŊवैतिनक छुǥी को पूणŊ वैतिनक छुǥी मŐ ŝपाȶįरत िकया जा सकेगा ।

(17) इस धारा के पूवŊगामी उपबंधों मŐ अंतिवŊʼ िकसी बात के होने पर भी, िवʷिवȨालय का प्रथम कुलपित, कुलािधपित Ȫारा, सरकार से परामशŊ के पʮात् तीन वषŊ से अनिधक की कालाविध के िलए, ऐसे िनबंधनों और शतŘ पर, जो कुलािधपित अवधाįरत करे, िनयुƅ िकया जायेगा ।

(18) कुलपित िवʷिवȨालय का प्रधान शैिƗणक, प्रशासिनक और कायŊपालक अिधकारी होगा और िवʷिवȨालय के कायŊकलाप का समग्र पयŊवेƗण और िनयंत्रण करेगा । उसे ऐसी समˑ शİƅयां होंगी जो इस अिधनियम और पįरिनयमों के उपबंधों के सही-सही अनुपालना के िलए आवʴक हों ।

(19) कुलपित को, जहां तुरȶ कारŊवाई की जानी अपेिƗत हो, ऐसा आदेश करने की शİƅ होगी िजससे ऐसी िकसी भी शİƅ का प्रयोग या ऐसे िकसी भी कृȑ का पालन हो िजसका प्रयोग या पालन िकसी भी प्रािधकारी Ȫारा इस अिधनियम या पįरिनयमों के अधीन िकया जाये:

परȶु ऐसी कारŊवाई की įरपोटŊ ऐसे प्रािधकारी को अनुमोदन के िलए की जायेगी जो उस िवषय पर सामाɊ अनुक्रम मŐ कायŊवाही करता:

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, माचर् 2, 2019 65(10)

परȶु यह और िक यिद वह कारŊवाई, िजसकी िक इस प्रकार įरपाटŊ की गयी है, बोडŊ से इतर ऐसे प्रािधकारी Ȫारा अनुमोिदत नहीं की जाती है तो वह िवषय बोडŊ को िनिदŊʼ िकया जायेगा िजसका िविनʮय अंितम होगा और बोडŊ के ही ऐसा प्रािधकारी होने की दशा मŐ वह िवषय कुलािधपित को िनदőिशत िकया जायेगा िजसका िविनʮय अंितम होगा ।

(20) कुलपित, यह समाधान हो जाने पर िक िकसी प्रािधकारी Ȫारा की गयी कोई कारŊवाई या आदेश िवʷिवȨालय के िहत मŐ नहीं है या ऐसे प्रािधकारी की शİƅयों के परे है, प्रािधकारी से उसकी कारŊवाई या आदेश का पुनिवŊलोकन करने की अपेƗा कर सकेगा । यिद प्रािधकारी उस तारीख से, िजसको िक कुलपित ने ऐसी अपेƗा की है, साठ िदवस के भीतर-भीतर अपनी कारŊवाई या आदेश का पुनिवŊलोकन करने से इȽार कर देता है या इसमŐ िवफल रहता है तो वह िवषय अंितम िविनʮय के िलए बोडŊ या, यथाİस्थित, कुलािधपित को िनदőिशत िकया जा सकेगा ।

12. **कुलपित का हटाया जाना.- (1)** यिद कुलािधपित की राय मŐ, कुलपित इस अिधनियम के उपबंधों का कायाŊɋयन करने से जानबूझकर लोप या इȽार करता है या उसमŐ िनिहत शİƅयों का दुŜपयोग करता हœ, या यिद कुलािधपित को अɊथा यह प्रतीत होता है िक कुलपित का पद पर बने रहना

िवश्विवद्यालय के िहत मỗ हािनकारक है तो कुलािधपित, ऐसी जांच करने के पश्चात्,जो वह उिचत समझे, आदेश Ǿारा, कुलपित को हटा सकेगा:

परन्तु कुलािधपित, ऐसा आदेश करने से पूवŊ जांच लंिबत रहने के दौरान, कुलपित को िकसी भी समय िनलंिबत कर सकेगा:

परन्तु यह और िक कुलािधपित Ǿारा कोई भी आदेश तब तक नहीं िकया जायेगा जब तक िक कुलपित को उसके िवŜȠ की जाने वाली प्रस्तािवत कारŊवाई के िवŜȠ हेतुक दिशŊत करने का युİƅयुƅ अवसर प्रदान नहीं कर िदया गया हो (2) उप-धारा (1) मỗ िनिदŊʼ िकसी भी जांच के लंिबत रहने के दौरान या उसको ध्यान मỗ रखते šए कुलािधपित यह आदेिशत कर सकेगा िक अिग्रम आदेश तक-

(क) ऐसा कुलपित, कुलपित के पद के कृत्यों का पालन करने से िवरत रहेगा, िकन्तु वह उन पįरलİɩयों को प्राɑ करता रहेगा िजनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपित के पद के कृत्यों का पालन आदेश मỗ िविनिदŊʼ ʩİƅ Ǿारा िकया जायेगा ।

13. **कुलपित की शİƅयां और कतŊʩ.- (1)** कुलपित िवश्विवद्यालय का मुƥ कायŊपालक और शैिणक अिधकारी होगा और कुलािधपित की अनुपİस्थित मỗ, िवश्विवद्यालय के दीा समारोहों की अध्यता करेगा।

(2) कुलपित बोडŊ और िवद्या पįरषद् का पदेन अध्य होगा ।

(3) कुलपित, िवश्विवद्यालय से संबंिधत मामले बोडŊ को उसके िवचार-िवमशŊ और िवचार के िलए प्रस्तुत करने के िलए उत्तरदायी होगा । उसे बोडŊ और

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, माचर् 2, 2019 65(11)

िवद्या पįरषद् और ऐसे अन्य प्रािधकाįरयों और िनकायों जैसेिक िविहत िकये जायỗ, की बैठक बुलाने की शİƅ होगी ।

(4) कुलपित का िवश्विवद्यालय के कायŊकलापों पर सामान्य िनयंत्रण होगा और वह िवश्विवद्यालय मỗ सʄक् अनुशासन बनाये रखने के िलए उत्तरदायी होगा। (5) कुलपित इस अिधिनयम और पįरिनयमों, आिडŊनेन्सों और िविनयमों के उपबंधों का िनष्ठापूवŊक पालन सुिनिश्चत करेगा और उसे ऐसी समस्त शİƅयाँ प्राɑ होंगी जो उƅ प्रयोजन के िलए आवश्यक हों।

(6) िकसी आपात मỗ, िजसमỗ कुलपित की राय मỗ तुरंत कारŊवाई करना अपेिक्षत हो, कुलपित ऐसी कारŊवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और की गयी कारŊवाई की įरपोटŊ शीघ्रतम अवसर पर ऐसे अिधकारी, प्रािधकारी या अन्य िनकाय को करेगा जो उस मामले मỗ सामान्य अनुक्रम मỗ कारŊवाई करता।

(7) जहां कुलपित Ǿारा उप-धारा (6) के अधीन की गयी िकसी कारŊवाई से िवश्विवद्यालय की सेवा मỗ के िकसी भी ʩİƅ पर उसके िलए अलाभकारी प्रभाव पड़ता है, वहां ऐसा ʩİƅ ऐसी तारीख से, िजसको उसे की गयी कारŊवाई से संसूिचत िकया जाये, तीस िदवस के भीतर-भीतर बोडŊ को अपील कर सकेगा ।

(8) पूवŋƅ के अध्धीन रहते šए, कुलपित, िवश्विवद्यालय के अिधकाįरयों, अध्यापकों और अन्य कमŊचाįरयों की िनयुİƅ, िनलंबन और पदोन्नित संबंधी बोडŊ के आदेशों को कायाŊİन्वत करेगा ।

(9) कुलपित, अध्यापन, अनुसंधान और अन्य कायŊ के िनकट समन्वय और

एकीकरण के िलए उǥरदायी होगा और ऐसी अɊ शिƅयों का प्रयोग करेगा जो िविहत की जायŐ ।

14. **प्रित-कुलपित.-** िवʷिवȨालय का प्रित-कुलपित ऐसी रीित से, और ऐसी कालाविध के िलए, ऐसे िनबɀनों और शतŘ पर िनयुƅ िकया जायेगा और ऐसी शिƅयों का प्रयोग और ऐसे कृǄोंं का पालन करेगा जैसेिक पįरिनयमों Ȫारा िविहत िकये जायŐ ।

15. **कुल-सिचव.-** (1) कुल-सिचव िवʷिवȨालय का मुƥ प्रशासिनक अिधकारी होगा । वह सीधे ही कुलपित के अधीƗण, िनदेशन और िनयंत्रण के अधीन कायŊ करेगा ।

(2) इस अिधिनयम या तǂमय प्रवृǄ िकसी भी अɊ िविध मŐ अɍिवŊ' िकसी बात के होने पर भी, कुल-सिचव राǛ सरकार Ȫारा, राजस्थान प्रशासिनक सेवा मŐ के अिधकाįरयों (चियनत वेतनमान से अिनɻ) मŐ से प्रितिनयुिƅ Ȫारा िनयुƅ िकया जायेगा ।

(3) कुल-सिचव बोडŊ, िवȨा पįरषद् और ऐसे िकसी भी प्रािधकारी, िजसे पįरिनयमों Ȫारा िवʷिवȨालय का प्रािधकारी होना घोिषत िकया जाये, का पदेन सदˣ-सिचव होगा ।

(4) कुल-सिचव का यह कतŊʩ होगा िक वह-

(क)िवʷिवȨालय के अिभलेख, सामाɊ मुद्रा और ऐसी अɊ सɼिǄयों का अिभरƗक होगा िजɎŐ बोडŊ उसके भारसाधन मŐ सुपुदŊ करे; और

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, माचर् 2, 2019 65(12)

(ख)बोडŊ, िवȨा पįरषद्, संकाय, अȯयन बोडŘ और िवʷिवȨालय के प्रािधकाįरयों Ȫारा िनयुƅ िकसी भी सिमित की बैठक बुलाने के िलए सम· नोिटस जारी करेगा।

(5) (i) जहां बोडŊ की कोई कायŊवाही या संकʙ, या कुलपित का कोई, आदेश इस अिधिनयम और तदधीन बनाये गये पįरिनयमों के उपबंधों से असंगत हो, वहां कुल-सिचव का यह कतŊʩ होगा िक वह सुसंगत उपबंधों का उʟेख करते Šए बोडŊ या कुलपित को सलाह देगा और बोडŊ की बैठक की कायŊवािहयों मŐ या कुलपित के आदेश पर इस तȚ को अिभिलİखत करेगा िक उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरांत ऐसी कायŊवािहयों, संकʙ या, यथाİस्थित, आदेश पर िवसʃित का िटɔण प्र˔ुत करेगा और ऐसा संकʙ या आदेश पाįरत होने या, यथाİस्थित, ऐसी कायŊवािहयां चलाने के सात िदवस के भीतर-भीतर कुलािधपित या उसके Ȫारा इस िनिमǄ प्रािधकृत िकसी अिधकारी को मामले की संसूचना सुिनिʮत करेगा ।

(ii) उप-खǷ (i) के अधीन įरपोटŊ िकये गये िवसʃित के िटɔण के परीƗण के पʮात्, कुलािधपित या उसके Ȫारा इस िनिमǄ प्रािधकृत अिधकारी ऐसा अंतįरम या स्थायी आदेश, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा, जो िवʷिवȨालय पर आबȠकर होगा:

परɁु यिद िवसʃित के िटɔण की प्राİɑ की तारीख से तीस िदवस की कालाविध के भीतर-भीतर ऐसा कोई अंतįरम या स्थायी आदेश जारी नहीं िकया जाये तो बोडŊ या, यथाİस्थित, कुलपित, कायŊवािहयों, या संकʙ या, यथाİस्थित, आदेश पर ऐसे कायŊवाही कर सकेगा मानो िक िवसʃित का िटɔण प्र˔ुत

नहीं िकया गया था ।

(6) कुल-सिचव धारा 43 के उपबंधों का अनुपालन सुिनि᳟त करने के िलए उᱫरदायी होगा ।

(7) कुल-सिचव ऐसी शिᲦयों का प्रयोग और ऐसे अ᭠य कृ᭜यो का पालन और ऐसे अ᭠य कतᭅ᳞ो का िनवᭅहन करेगा जो िविहत िकये जायᱶ या िजनकी कुलपित या बोडᭅ ᳇ारा उससे समय-समय पर अपेᭃा की जाये।

16. **िनयंत्रक.- (1)** िनयंत्रक, िव᳡िव᳒ालय का मुय िवᱫ, लेखा और संपरीᭃा अिधकारी होगा । वह सीधे ही कुलपित के िनयंत्रण के अधीन कायᭅ करेगा ।

(2) इस अिधिनयम या, तत्समय प्रवृᱫ िकसी भी अ᭠य िविध मᱶ अ᭠तिवᭅ᳥ िकसी बात के होंने पर भी, िनयंत्रक रा᭔य सरकार ᳇ारा, राजस्थान लेखा सेवा के अिधकािरयों (चयिनत वेतनमान से अिन᭥न) मᱶ से प्रितिनयुिᲦ ᳇ारा िनयुᲦ िकया जायेगा ।

(3) िनयंत्रक, िवᱫ सिमित का पदेन सद᭭य-सिचव होगा ।

(4) िनयंत्रक –

(क) िव᳡िव᳒ालय की िनिधयों का सामा᭠य पयᭅवेᭃण करेगा और िव᳡िव᳒ालय को उसकी िवᱫीय नीित के संबंध मᱶ सलाह देगा;

(ख)᭠यास और िव᭠यास सपिᱫ को सिम्मिलत करते ᱟए, िव᳡िव᳒ालय की सपिᱫ और िविनधानों का िवᱫ सिमित और बोडᭅ के िविन᳟यों के अनुसार प्रबंध करेगा; और

(ग) ऐसी अ᭠य शिᲦयों और ऐसे अ᭠य िवᱫीय कृ᭜यो का पालन करेगा जो उसे बोडᭅ᳇ारा समनुदेिशत िकये जायᱶ या जो िविहत िकये जायᱶ:

पर᭠तु िनयंत्रक, बोडᭅ के पूवᭅ अनुमोदन के िसवाय, ऐसी रकम से अिधक, जो िविहत की जाये, कोई ᳞य उपगत या कोई भी िविनधान नहीं करेगा ।

(5) बोडᭅ के िनयंत्रण के अध्यधीन रहते ᱟए, िनयंत्रक -

(क) यह सुिनि᳟त करेगा िक एक वषᭅ के िलए आवतᱮ और अनावतᱮ ᳞य बोडᭅ ᳇ारा िनयत सीमा से अिधक न हों, और सम᭭त धन उन प्रयोजनों के िलए ᳞य िकये जायᱶ िजनके िलए वे मंजूर या आबंिटत िकये गये हᱹ;

(ख) िव᳡िव᳒ालय के वािषᭅक लेखाओं, िवᱫीय प्राक्कलनों और बजट को तैयार करने और उनको िवᱫ सिमित और बोडᭅ को प्र᭭तुत करने के िलए उᱫरदायी होगा;

(ग) नकद और बᱹक अितशेषों और िविनधानों पर बराबर नजर रखेगा;

(घ) राज᭭व के संग्रहण की प्रगित पर नजर रखेगा और संग्रहण की लागू की गयी प᳍ितयों पर सलाह देगा;

(ङ) यह सुिनि᳟त करेगा िक भवनों, भूिम फनᱮचर और उप᭭करों के रिज᭭टर अ᳒तन रखे जाते हᱹ, और िव᳡िव᳒ालय ᳇ारा संधािरत सम᭭त कायाᭅलयों, प्रयोगशालाओं, महािव᳒ालयों और संस्थाओं मᱶ

उप`रों और अQ खपने वाली सामग्री के सrटु मŐ :ाक की जांच की जाती है;

(च) यह सुिनिųत करेगा िक िवᵂिवĘालय Ő◌ारा िविनधान से ऐसा कोई भी fŋय उपगत नहीं िकया जाये जो बजट मŐ प्राििधकृत नहीं िकया गया हो और अनिधकृत fŋय या अQ िवȅीय अिनयिमतता को कुलपित के ȯान मŐ लायेगा और दोषी fŋİbयों के िवŜŊ की जाने वाली समुिचत कारŊवाई का सुझाव देगा;

(छ) ऐसे िकसी fŋय को नामंजूर करेगा जो िकसी भी पįरिनयम के िनबźनों का उŮंघन करता हो या िजसके िलए पįरिनयम Ő◌ारा उपबंध िकया जाना अपेिĀत है िकɌु नहीं िकया गया है;

(ज) िवᵂिवĘालय Ő◌ारा संधाįरत िकसी कायाŊलय, प्रयोगशाला, महािवĘालय या संस्था से ऐसी सूचना या िववरिणयां प्राɑ करेगा िजɎŐ वह अपनी शİbयों के प्रयोग, कृȑो◌ं के पालन या कतŊfŋो◌ं के िनवŊहन के िलए आवᳮक समझे; और

(झ) धारा 35, 36 और 37 के उपबंधों का अनुपालन सुिनिųत करेगा ।

17. **सɼदा अिधकारी और छात्र कʞाण संकायाȯƗ.- (1)** बोडŊ िनɻिलİखत िकसी भी एक या अिधक अिधकाįरयों को िनयुƅ कर सकेगा, अथाŊत्:-

(क) सɼदा अिधकारी; और

(ख) छात्र कʞाण संकायाȯƗ ।

(2) सɼदा अिधकारी िवᵂिवĘालय के समˑ भवनों, लानों, उĘानों औरअQ स्थावर सɼिȅ का भारसाधक होगा ।

(3) छात्र कʞाण संकायाȯƗ के िनɻिलİखत कतŊfŋ होंगे;-

(क) छात्रों के आवासन की fŋवस्था करना;

(ख) छात्रों को परामशŊ देने के िलए कायŊक्रम िनिदŠ करना;

(ग) कुलपित Ő◌ारा अनुमोिदत योजनाओं के अनुसार छात्रों के िनयोजन के िलए fŋवस्था करना;

(घ) छात्रों के पाǬेतर िक्रयाकलापों का पयŊवेƗण करना;

(ङ) िवᵂिवĘालय के ˘ातकों को ɑेसमेɌ मŐ सहायता करना; और

(च) िवᵂिवĘालय के पूवŊ छात्रों को संगिठत करना और उनसे सɼकŊ बनाये रखना ।

18. **संकायों के संकायाȯƗ और उनके कृȑ.- (1)** Ůȑेक संकाय का एक संकायाȯƗ होगा ।

(2) संकायों के संकायाȯƗ कुलपित Ő◌ारा ऐसी रीित से िनयुƅ िकये जायŐगे जो िविहत की जाये ।

(3) संकायाȯƗ ऐसे कृȑो◌ं का पालन करŐगे जो पįरिनयमों Ő◌ारा िविहत िकये जायŐ ।

19. **अQ अिधकारी और कमŊचारी.-** धारा 10 के खǷ (क) मŐ विणŊत अQ अिधकाįरयों की और िवᵂिवĘालय के कमŊचाįरयों की िनयुİƅ की रीित

और उनके कृŗ ऐसे होंगे जो इस अिधिनयम मŐ उपबंिधत िकये जायŐ या पįरिनयमों, अिाडŊनेŔोंं और िविनयमों Ơारा िविहत िकये जायŐ ।

20. **अिधकाįरयों और कमŊचाįरयों का पाįरश्रिमक.-** िवʷिवȨालय के िकसी भी अिधकारी या कमŊचारी को िवʷिवȨालय मŐ िकसी भी कायŊ के िलए, पįरिनयमों मŐ जैसी उपबंिधत है उसके िसवाय, कोई भी पाįरश्रिमक न तो िदया जायेगा और न वह उसे ˢीकार करेगा ।

21. **सलाहकार पįरषद् का गठन और संरचना.-** (1)िवʷिवȨालय की एक सलाहकार पįरषद् होगी जो िनɻिलİखत सदˢोंं से िमलकर बनेगी, अथाŊतː-

(i) कुलािधपित Ơारा िनयुƅ िकया जाने वाला पत्रकाįरता और जनसंचार मŐ राʼŌीय Ψाित प्राɑ ʩİƅ, जो सलाहकार पįरषद् का अȯƗ होगा;

(ii) कुलपित;

(iii) उǄ िशƗा िवभाग का प्रभारी सिचव या उसका नामिनदőिशती जो शासन उप सिचव की रœक से नीचे का न हो;

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, माचर् 2, 2019 65(15)

(iv) सूचना और जनसɼकŊ िवभाग का प्रभारी सिचव या उसका नामिनदőिशती जो शासन उप सिचव की रœक से नीचे का न हो;

(v) कुलपित, राजस्थान िवʷिवȨालय, जयपुर;

(vi) कुलपित, वधŊमान महावीर खुला िवʷिवȨालय, कोटा;

(vii) संकायाȯƗ, पत्रकाįरता और जनसंचार िवभाग, राजस्थान िवʷिवȨालय, जयपुर;

(viii) आयुƅ/ िनदेशक, सूचना और जनसɼकŊ िवभाग, राजस्थान, जयपुर;

(ix) कुलािधपित Ơारा नामिनदőिशत िकये जाने वाले, पत्रकाįरता और जनसंचार के Ɨेत्र मŐ पांच िवȪान;

(x) राǛ सरकार Ơारा नामिनदőिशत िकये जाने वाले, पत्रकाįरता व जनसंचार Ɨेत्र के पांच िवƥात ʩİƅ; और

(xi) िवʷिवȨालय का कुल-सिचव, सदˢ सिचव ।

ˋʼीकरण.- खǷ (iii) और (iv) प्रयोजन के िलए, "प्रभारी सिचव" से उस िवभाग का प्रभारी सिचव अिभप्रेत है और इसमŐ कोई अितįरƅ मुƥ सिचव और प्रमुख सिचव, जब वह िकसी िवभाग का प्रभारी हो, सİʃिलत है ।

(2) सलाहकार पįरषद् की बैठक मŐ, एक ितहाई उपİस्थत सदˢोंं से बैठक की गणपूितŊ होगी ।

(3) सलाहकार पįरषद् का अȯƗ ऐसे कृŗोंं का पालन और ऐसी शİƅयों का प्रयोग करेगा जो इस अिधिनयम मŐ उपंबिधत हœ या जो िविहत की जायŐ ।

(4) सदˢ िकसी भी अितįरƅ वेतन के िबना सेवा करŐगे िकɅु ऐसे दैिनक भȅे और यात्रा ʩय के हकदार होंगे जो िविहत िकये जायŐ ।

(5) सलाहकार पįरषद् की बैठकों का कायŊवृȅ सलाहकार पįरषद् के सदˢ-सिचव Ơारा अिभिलİखत और संधाįरत िकया जायेगा ।

22. **सलाहकार पįरषद् के कतŊʩ और कृŗ.-** सलाहकार पįरषद् के कȅŊʩ और कृŗ िनɻिलİखत होंगे.-

(क)िवश्विवद्यालय की व्यापक नीितयों और कायर्क्रमों का समय-समय पर पुनिवर्लोकन करना और िवश्विवद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के बारे में, िवश्विवद्यालय के सुधार और िवकास के िलए, उपायों का सुझाव देना;

(ख)ऐसे िकसी मामले के संबंध में िजससे िवश्विवद्यालय का मागर्दशर्न हो सके, कुलपित को सलाह देना; और

(ग)ऐसे अन्य कतर्व्य और कृत्य जो पिरिनयमों द्वारा िविहत िकये जायें ।

23. **प्रबंध बोडर् का गठन और संरचना.**- (1) प्रबंध बोडर् िवश्विवद्यालय का उच्चतम कायर्पालक िनकाय होगा और िनम्निलिखत सदस्यों से िमलकर बनेगा, अथार्तः-

(I) **िवश्विवद्यालय का कुलपित** - अध्यक्ष;

(II)**पदेन सदस्य** -

(i) िवत्त िवभाग का प्रभारी सिचव या उसका नामिनदेर्िशती जो शासन उप सिचव की रैंक से नीचे का न हो;

(ii) उच्च िशक्षा िवभाग का प्रभारी सिचव या उसका नामिनदेर्िशती जो शासन उप सिचव की रैंक से नीचे का न हो;

(iii) सूचना और जनसम्पकर् िवभाग का प्रभारी सिचव या उसका नामिनदेर्िशती जो शासन उप सिचव की रैंक से नीचे का न हो;

(iv)आयुक्त/िनदेशक, सूचना और जनसम्पकर् िवभाग, राजस्थान सरकार;

(v) आयुक्त या, यथािस्थित, िनदेशक, महािवद्यालय िशक्षा, राजस्थान सरकार;

(vi) कुलपित, राजस्थान िवश्विवद्यालय, जयपुर;

(vii) प्रित-कुलपित; और

(viii) िवश्विवद्यालय का कुल-सिचव, सदस्य-सिचव।

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजन के िलए, "प्रभारी सिचव" से उस िवभाग का प्रभारी सिचव अिभप्रेत है और इसमें कोई अितिरक्त मुख्य सिचव और प्रमुख सिचव, जब वह िकसी िवभाग का प्रभारी हो, सिम्मिलत है ।

(III)नामिनदेर्िशत सदस्य –

(i) कुलपित द्वारा संकायाध्यक्षों में से एक वषर् के िलए नामिनदेर्िशत दो व्यिक्त;

(ii) कुलािधपित द्वारा एक वषर् के िलए नामिनदेर्िशत दो िवश्विवद्यालय आचायर्;

(iii) कुलािधपित द्वारा तीन वषर् के िलए नामिनदेर्िशत िकये जाने वाले दो िवख्यात िशक्षािवद्;

(iv) राज्य सरकारद्वारा तीन वषर् के िलए नामिनदेर्िशत िकये जाने वाले, राज्य िवधान-मण्डल के दो सदस्य; और

(v) राÛ सरकार Ő◌ारा तीन वषŊ के िलए नामिनदőिशत िकये जाने वाले दो िवþ◌ात िशÞ◌ािवद् ।

(2) बोडŊ की बैठक मŐ, एक ितहाई उपİस्थत सदˠ◌ों से बैठक की गणपूितŊ होगी ।

(3) बोडŊ का अÐÙ ऐसे कृ̨◌ों का पालन और ऐसी शİĉयों का प्रयोग करेगा जो इस अिधनयम मŐ उपबंिधत हœ या जो िविहत की जायŐ ।

(4) सदˠ िकसी भी अितįरĉ वेतन के िबना सेवा करŐगे िकंतु ऐसे दैिनक भ̄◌े और यात्रा ˓य के हकदार होंगे जो िविहत िकये जायŐ।

(5) बोडŊ की बैठकों का कायŊवृ̄ बोडŊ के सदˠ-सिचव Ő◌ारा अिभिलİखत और संधाįरत िकया जायेगा ।

24. **बोडŊ के कतŊ˳ और कृ̨.-** बोडŊ के कतŊ˳ और कृ̨ िनɻिलİखत होंगे:-

(क) िवʷिवȨालय के बजट को अनुमोिदत और मंजूर करना;

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, माचर् 2, 2019 65(17)

(ख) िवʷिवȨालय की संपि̄ और िनिधयों को अिजŊत करना, ˓यिनत करना, धाįरत करना और िनयंित्रत करना और िवʷिवȨालय की ओर से कोई भी साधारण या िवशेष िनदेश जारी करना;

(ग) िकसी भी जंगम या स्थावर संपि̄ के अंतरण को िवʷिवȨालय की ओर से ˢीकार करना;

(घ) िविनिदŊʼ प्रयोजनों के िलए िवʷिवȨालय के ˓यनाधीन रखी गयी िकȯीं भी िनिधयों का प्रबंध करना;

(ङ) िवʷिवȨालय के धन का िविनधान करना;

(च) िवʷिवȨालय के शैिÞणक, प्रशासिनक और अɊ ːाफ के सदˠ◌ों को ऐसी रीित से िनयुĉ करना, जो िविहत की जाये;

(छ) िवʷिवȨालय की सामाɊ मुद्रा के प्रŝप और उपयोग का िनदेश देना;

(ज) स्थायी या अस्थायी ऐसी सिमितयों की िनयुİĉ करना िजȾŐ वह अपने उिचत कायŊकरण के िलए आवʴक समझे;

(झ) पूंजीगत सुधारों के िलए धन उधार लेना और उसके प्रितसंदाय के िलए उपयुĉ ˓वस्था करना;

(ञ) ऐसे समय पर और इतनी बार बैठकŐ करना िजतनी वह आवʴक समझे, परंतु बोडŊ की िनयिमत बैठक प्र̊ेक तीन मास मŐ कम से कम एक बार आयोिजत की जायेगी;

(ट) िवʷिवȨालय के सुचाŜ कायŊकरण के िलए इस अिधनयम मŐ िविहत रीित से पįरिनयमों, अिधिनयमों और िविनयमों को बनाना; और

(ठ) िवʷिवȨालय से संबंिधत सम˟ मामलों को इस अिधनयम और पįरिनयमों के अनुसार िविनयिमत और अवधाįरत करना और ऐसी शİĉयों का प्रयोग करना और ऐसे कतŊ˳◌ों का िनवŊहन करना जो इस अिधनयम और पįरिनयमों Ő◌ारा बोडŊ को प्रद̄ की

जायŐ या उस पर अिधरोिपत िकये जायŐ ।

25. **िवĘा पįरषद्.-** (1)िवʷिवĘालय की एक िवĘा पįरषद् होगी जो िनɻिलिकत सदˢों से िमलकर बनेगी, अथाŊत्:-

(क) कुलपित- पदेन अȯƗ;

(ख) प्रित-कुलपित;

(ग) संकायों के संकायाȯƗ;

(घ) कुलपित Ȫारा नामिनदőिशत िकया जाने वाला प्रȑेक संकाय से एक आचायŊ;

(ङ) सूचना और जनसɼकŊ िवभाग का प्रभारी सिचव या उसका नामिनदőिशती जो शासन उप सिचव की रœक से नीचे का न हो;

(च) उǄ िशƗा िवभाग का प्रभारी सिचव या उसका नामिनदőिशती जो शासन उप सिचव की रœक से नीचे का न हो;

(छ) अȯयन बोडŘ के अȯƗ;

(ज) अȯयन के Ɨेत्र मŐ िवशेष योƶता रखने वाले दो ʩİƅ, जो िवʷिवĘालय के कमŊचारी नहीं हों, िजनमŐ से एक कुलािधपित Ȫारा और दूसरा राǛ सरकार Ȫारा नामिनदőिशत िकया जायेगा;

(झ) िवʷिवĘालय का कुल-सिचव, सदˢ-सिचव ।

˙ʼीकरण.- खǷ (ङ) और (च) के प्रयोजन के िलए, "प्रभारी सिचव" से उस िवभाग का प्रभारी सिचव अिभप्रेत है और इसमŐ कोई अितįरƅ मुƥ सिचव और प्रमुख सिचव, जब वह िकसी िवभाग का प्रभारी हो, सİʃिलत है ।

(2) नामिनदőिशत सदˢों की पदाविध दो वषŊ होगी ।

26. **िवĘा पįरषद् के कृȑ.-** (1)इस अिधिनयम, पįरिनयमों, अिडŊनेɌों और िविनयमों के उपबंधों के अȯधीन रहते Šए, िवĘा पįरषद्, शैƗिणक कायŊकलापों पर िनयंत्रण और उनका साधारण िविनयमन करेगी और िवʷिवĘालय मŐ िशƗण और परीƗाओं के ˑर को बनाये रखने के िलए और उपािधयां और िडɘोमŐ प्रदान करने के िलए अपेƗाओं के िलए उȅरदायी होगी । िवĘा पįरषद् –

(i) िवʷिवĘालय की शैƗिणक नीितयों पर िनयंत्रण रखेगी और िवʷिवĘालय मŐ िशƗण, िशƗा और मूʞांकन के ˑरों को बनाये रखने और उनमŐ सुधार करने के िलए उȅरदायी होगी;

(ii) या तो अपनी ˢयं की पहल पर या िवʷिवĘालय के संकाय या बोडŊ से िनदőश पर सामाɊ शैƗिणक िहत के मामलों पर िवचार करेगी और उन पर समुिचत कारŊवाई करेगी; और

(iii) छात्रों के अनुशासन को सİʃिलत करते Šए, िवʷिवĘालय के शैƗिणक कायŊकरण के बारे मŐ ऐसे िविनयमों की, जो इस अिधिनयम से संगत हों, बोडŊ को िसफाįरश करेगी;

(2) िवĘा पįरषद् ऐसी अɊ शİƅयों का प्रयोग और ऐसे अɊ कतŊʩों का पालन करेगी जो पįरिनयमों Ȫारा उसे प्रदȅ िकये जायŐ या उस पर अिधरोिपत िकये जायŐ और समˑ शैƗिणक मामलों मŐ कुलपित को सलाह देगी ।

27. **संकायों की संरचना और कृŧ.-** (1)िवʷिवȨालय मŐ ऐसे संकाय होंगे जो पįरिनयमों Ȫारा िविहत िकये जायŐ ।

(2) Ůȑेक संकाय िनɻिलİखत से िमलकर बनेगा :-

(क) संकाय का संकायाȯƗ - अȯƗ;

(ख) संकाय को समनुदेिशत िवषयों के िवʷिवȨालय आचायŊ;

(ग) संकाय मŐ अȯयन बोडŘ के अȯƗ; और

(घ) िवȨा पįरषद् Ȫारा नामिनदőिशत दो बाƸ िवशेषǒ ।

(3) संकाय ऐसे कृȑों का पालन करेगा जो पįरिनयमों Ȫारा िविहत िकये जायŐ ।

28. **अȯयन बोडŊ.-** (1)अȯयन बोडŊ इतने होंगे िजतने पįरिनयमों Ȫारा अवधाįरत िकये जाये ।

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, माचर् 2, 2019 65(19)

(2) अȯयन बोडŊ ऐसी रीित से गिठत िकया जायेगा, ऐसे सदˑों से िमलकर बनेगा, ऐसी शİƅयों का प्रयोग और ऐसे कृȑों का पालन करेगा, जो िविहत िकये जाये ।

29. **िवȅ सिमित.-** (1) िवȅ सिमित िनɻिलİखत सदˑों से िमलकर गिठत होगी, अथाŊत्:-

(क) कुलपित, जो सिमित का अȯƗ होगा;

(ख)
िवȅ िवभाग का प्रभारी सिचव या उसका नामिनदőिशती जो शासन उप सिचव से नीचे की रœक का न हो;

(ग) उŠ िशƗा िवभाग का प्रभारी सिचव या उसका नामिनदőिशती जो शासन उप सिचव से नीचे की रœक का न हो;

(घ) सूचना और जनसɼकŊ िवभाग का प्रभारी सिचव या उसका नामिनदőिशती जो शासन उप सिचव से नीचे की रœक का न हो;

(ङ) प्रित-कुलपित;

(च) बोडŊ Ȫारा इसके अशासकीय सदˑों मŐ से नामिनदőिशत िकया जाने वाला बोडŊ का एक सदˑ;

(छ) बोडŊ Ȫारा चक्रानुक्रम मŐ नामिनदőिशत िकये जाने वाले दो आचायŊ; और

(ज) िनयंत्रक, जो सिमित का सदˑ-सिचव होगा ।

˙ʼीकरण.- खǵ (ख), (ग) और (घ) के प्रयोजन के िलए, "प्रभारी सिचव" से उस िवभाग का प्रभारी सिचव अिभप्रेत है और इसमŐ कोई अितįरƅ मुƥ सिचव और प्रमुख सिचव, जब वह िकसी िवभाग का प्रभारी हो, सिʃिलत है ।

(2) खǵ (च) और (छ) के अधीन नामिनदőिशत सदˑों की पदाविध दो वषŊ होगी ।

30. **िवȅ सिमित के कृȑ.-** इस अिधिनयम के अɊ उपबंधों के अȯधीन, िवȅ सिमित मुƥतः िनɻिलİखत कृȑों का पालन करेगी, अथाŊत्:-

(i) िवʷिवȨालय के वािषŊक लेखाओं और वािषŊक बजट प्राƍलनों का परीƗण करना और उन पर बोडŊ को सलाह देना;

(ii) िवʷिवȨालय की िवȅीय İस्थित का समय-समय पर

पुनिवɒलोकन करना;

(iii) िवʷिवȨालय के िवȅ से संबंिधत समˑ नीितगत िवषयों पर बोडɒ को िसफाįरश करना;

(iv) िनिधयों के सृजन, प्राİɑयों और ʩयों को अɁवɒिलत करने वाले समˑ प्रˑावों पर बोडɒ को िसफाįरशŐ करना;

(v) अिधशेष िनिधयों के िविनधान के िलए मागɒदशɒन उपलɩ कराना;

(vi) ऐसे समˑ प्रˑावों पर, िजनमŐ ऐसा ʩय अंतवɒिलत हो, िजसके िलए बजट मŐ कोई उपबंध नहीं िकया गया हो या िजनके बजट मŐ उपबंिधत रकम से अिधक ʩय उपगत िकये जाने की आवʴकता हो, बोडɒ को िसफाįरश करना;

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, माचर् 2, 2019 65(20)

(vii)वेतनमानों के पुनरीƗण, वेतनमानों के उɄयन और उन मदों, जो बोडɒ के समƗ रखŐ जाने के पूवɒ बजट मŐ सİʃिलत न की गयी हों, से संबंिधत समˑ प्रˑावों का परीƗण करना; और

(viii)ऐसी अɊ शİƅयों का प्रयोग और ऐसे अɊ कृȑों का पालन करना जो इसे िविनयमों Ȫारा प्रदȅ की जायŐ या इस पर अिधरोिपत िकये जायŐ ।

31. **िवʷिवȨालय का अȯापन.-** (1)िवʷिवȨालय Ȫारा माɊता प्राɑ समˑ अȯापन िवʷिवȨालय िवभागों मŐ या इसके संस्थानों और संस्थाओं मŐ संचािलत िकये जायŐगे ।

(2) ऐसे अȯापन का संचालन करने के िलए उȅरदायी प्रािधकारी ऐसे होंगे जो िविहत िकये जायŐ ।

(3) पाǭक्रमानुसार अȯयन और पाǭक्रम ऐसे होगे जो अिडɒनेɌों Ȫारा और तदधीन रहते Šए, िविनयमों Ȫारा िविहत िकये जायŐ।

32. **िवʷिवȨालय के अȯापक और अिधकारी.-** (1) िवʷिवȨालय के अȯापकों और अिधकाįरयों की िनयुİƅ राजस्थान िवʷिवȨालयों के अȯापकतथा अिधकारी (िनयुİƅ के िलए चयन) अिधिनयम, 1974 (1974 का अिधिनयम सं.18) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी ।

(2) पįरिनयमों Ȫारा उपबंिधत मामलों के िसवाय, िवʷिवȨालय के अȯापक और अिधकारी िलİखत संिवदा के अधीन िनयुƅ िकये जायŐगे । संिवदा कुलपित के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रित संबंिधत अȯापक या अिधकारी को दी जायेगी । सेवा की शतŘ के संबंध मŐ संिवदा इस अिधिनयम और तɉय प्रवृȅ पįरिनयमों के उपबंधों से असंगत नहीं होगी ।

(3) उप-धारा (1) मŐ अंतिवɒʼ िकसी बात के होने पर भी, वे अȯापक, िजɎŐ हįरदेव जोशी पत्रकाįरता और जनसंचार िवʷिवȨालय, जयपुर अिधिनयम, 2012 (2012 का अिधिनयम सं. 33) के िनरसन के पʮात् राजस्थान िवʷिवȨालय मŐ स्थानांतįरत िकया गया था, उनकी सेवायŐ इस अिधिनयम के प्रारʁ से इस िवʷिवȨालय मŐ प्रȑािवतɒत हो जायŐगी और उनकी सेवायŐ उनकी आरİʁक िनयुİƅ की तारीख से, समˑ प्रयोजनो के िलए, िवʷिवȨालय मŐ दी गयी समझी जायŐगी ।

33. **सेवािनवृिȅ की आयु.**- पįरिनयमों मŐ िकसी भी प्रितकूल उपबंध के या इस संबंध मŐ राǛ सरकार के िकɎीं भी िनदेशों या नीित के अȯधीन

रहते हुए, विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी सामान्यतः साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे ।

34. **पेंशन या भविष्य निधि.-** (1) विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकवर्गीय स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, ऐसी पेन्शन, उपदान, बीमा और भविष्य निधि का गठन करेगा जो वह उचित समझे ।

(2) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19) के उपबंध किसी निधि या बीमा स्कीम पर इस प्रकार लागू होंगे मानों कि वह

राज्य सरकार की निधि या स्कीम हो और विश्वविद्यालय ऐसी निधि या स्कीम में अंशदान या विनिधान करेगा ।

(3) परिनियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया जायेगा कि राज्य की सेवाओं में के नियोजन से स्थानान्तरित स्टाफ सदस्यों को ऐसे स्थानान्तरण पर संरक्षित उनके प्रोद्भूत सेवा फायदे मिलें ।

35. **विश्वविद्यालय निधि.-** (1)विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय निधि के नाम से एक निधि स्थापित, संधारित करेगा और उसका प्रबंध करेगा ।

(2) निम्नलिखित धनराशियां विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी , अर्थात्:-

(क) राज्य सरकार द्वारा कोई भी अंशदान या अनुदान;

(ख) विश्वविद्यालय को समस्त स्रोतों से उद्भूत होने वाली आय जिसमें फीस और प्रभारों से आय सम्मिलित है;

(ग) न्यास, वसीयत, संदान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हो; और

(घ) ऐसा अन्य धन जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाये ।

(3) वे मामले, जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जा सकेगी, ऐसे होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी उपबंध के अधीन और उसके अनुसरण में उपगत समस्त व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय निधि से की जायेगी ।

(5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय संपत्तियों की प्रतिभूति पर और राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेने की शक्ति होगी ।

36. **लेखे और संपरीक्षा.-** (1)विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, नियंत्रक द्वारा कुलपति के निदेश के अधीन, तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी ।

(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों में विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगा ।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति की टिप्पणियों सहित, बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा ।

(4) लेखाओं की संपरीİा िविहत रीित से ऐसे संपरीİकों Ȫारा की जायेगी जैसािक राǛ सरकार िनदेश दे और ऐसी संपरीİा का ƥय िवʷिवȨालय िनिध पर प्रभार होगा ।

(5) संपरीिİत होने पर लेखे मुिद्रत िकये जायŐगे और उनकी प्रितयां, संपरीİा įरपोटŊ सिहत, कुलपित Ȫारा बोडŊ को प्रˑुत की जायŐगी जो उƩŐ ऐसी िटɔिणयों सिहत, जो आवʴक समझी जायŐ, राǛ सरकार को अग्रेिषत करेगा ।

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, माचर् 2, 2019 65(22)

(6) िवʷिवȨालय संपरीİा मŐ िकये गये आİेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कायाŊİɋत करेगा जो संपरीİा įरपोटŊ पर राǛ सरकार Ȫारा जारी िकये जायŐ ।

37. **राǛ सरकार का िनयंत्रण.**- जहां राǛ सरकार की िनिधयां अɍवŊिलत हœ, वहां िवʷिवȨालय ऐसी िनिधयों की मंजूरी से संबȠ िनबंधनों और शतŘ का पालन करेगा िजनमŐ, अɊ बातों के साथ-साथ, िनɻिलİखत के संबंध मŐ राǛ सरकार की पूवŊ अनुǒा भी सİʅिलत है, अथाŊत्:-

(क) अȯापकों, अिधकाįरयों या अɊ कमŊचाįरयों के नये पदों का सृजन;

(ख) अपने अȯापकों, अिधकाįरयों और अɊ कमŊचाįरयों को वेतन, भȅों, सेवािनवृिȅ-पʮात् के फायदों और अɊ फायदों का पुनरीİण;

(ग) अपने िकƨीं भी अȯापकों, अिधकाįरयों या अɊ कमŊचाįरयों को िकसी अितįरƅ/ िवशेष वेतन, भȅे या िकसी भी प्रकार का अɊ अितįरƅ पाįरश्रिमक िजसमŐ िवȅीय िववİा रखने वाला अनुग्रहपूवŊक संदाय या अɊ फायदे सİʅिलत हœ, की मंजूरी;

(घ) िकसी भी िनिʮत िनिध का ऐसे प्रयोजन, िजसके िलए वह प्राɑ की गयी थी, से िभɄ प्रयोजन के िलए अपयोजन;

(ङ) स्थावर सɼिȅ का िवक्रय, पǥे, बंधक Ȫारा या अɊथा अɊरण;

(च) राǛ सरकार से प्राɑ िनिधयों से, ऐसे प्रयोजनों, िजनके िलए िनिधयां प्राɑ की गयी हœ, से िभɄ प्रयोजनों के िलए िकसी भी िवकास कायŊ पर ƥय उपगत करना; और

(छ) ऐसा कोई भी िविनʮय करना िजसके पįरणामˢŝप राǛ सरकार के िलए प्रȑİ या अप्रȑİ िवȅीय दाियȕ बढ़ जाये ।

˙ʼीकरण.- पूवŖƅ शतŒ िकसी भी अɊ िनिध से सृिजत ऐसे पदों के संबंध मŐ भी लागू होगी िजनसे दीघŊकाल मŐ राǛ सरकार पर िवȅीय िववİाएं होने की संभावना हो ।

38. **आपात उपाय के ŝप मŐ राǛ सरकार Ȫारा िवȅीय िनयंत्रण की धारणा.**- (1)राǛ सरकार को, िवʷिवȨालय के िवȅ से संबंिधत िकसी भी मामले मŐ, जहां राǛ सरकार की िनिधयों का संबंध हो, ऐसे ƥİƅ या ƥİƅयों Ȫारा, जैसािक वह िनदेश दे, जांच करवाने और िवʷिवȨालय को िनदेश जारी करने का अिधकार होगा ।

(2) यिद राǛ सरकार का यह समाधान हो जाता है िक िवʷिवȨालय

मŐ कुप्रशासन या िवȅीय कुप्रबंध के कारण ऐसी İस्थित पैदा हो गयी है िजससे िवʷिवȨालय की िवȅीय İस्थरता असुरिƗत हो गयी है तो वह, अिधसूचना Ȫारा, यह घोषणा कर सकेगी िक िवʷिवȨालय का िवȅ राǛ सरकार के िनयंत्रणाधीन होगा और ऐसे अɊ िनदेश जारी करेगी जो वह उƅ प्रयोजन के िलए ठीक समझे और वे िवʷिवȨलाय पर बाȯकारी होंगे ।

39. **सदˢता संबंधी अनुपूरक उपबंध.-** (1)िवʷिवȨालय के िकसी भी प्रािधकारी या िनकाय के (पदेन सदˢों से िभɄ) सदˢों मŐ Šई समˑ आकİˑक įरिƅयां यथासंभव शीघ्र, िनयुİƅ या नामिनदőशनȪारा उसी प्रकार भरी जायŐगी िजस प्रकार सदˢ को, िजसका स्थान įरƅ Šआ है, िनयुƅ या नामिनदőिशत िकया गया था और िकसी आकİˑक įरİƅ पर िनयुƅ या नामिनदőिशत ʩİƅ ऐसे प्रािधकारी या िनकाय का ऐसी अविशʼ कालाविध के िलए सदˢ रहेगा िजतनी अविध के िलए वह ʩİƅ, िजसका स्थान वह भरता है, यिद स्थान įरƅ नहीं Šआ होता तो बना रहता ।

(2) कोई ʩİƅ, जो िवʷिवȨालय मŐ कोई भी पद, िवʷिवȨालय का कोई भी अɊ पद धारण करने के आधार पर या अɊथा धारण करता है, ऐसा पद तब तक, जब तक िक वह अɊ पद धारण करता है, धारण करेगा और तȋʮात् तब तक धारण करता रहेगा जब तक िक उसका उȅरािधकारी सʄक् ʩप से नामिनदőिशत या, यथाİस्थित, िनयुƅ नहीं कर िदया जाता है ।

(3) बोडŊ ऐसे िकसी भी ʩİƅ को, जो िवʷिवȨालय का कोई अिधकारी नहीं हो, िकसी भी प्रािधकारी या िनकाय की सदˢता से या िवʷिवȨालय के िकसी भी कमŊचारी को इस आधार पर हटा सकेगा िक ऐसा ʩİƅ या कमŊचारी नैितक अधमता से अȶवŊिलत िकसी अपराध के िलए या Ȫंसक गितिविधयों मŐ भाग लेने के िलए या िवʷिवȨालय की प्रितʿा के िलए अशोभनीय िकसी कायŊ या कायŘ मŐ भाग लेने के आधार पर िसȠदोष ठहराया गया हैः

परȶु ऐसे िकसी ʩİƅ या कमŊचारी को इस उप-धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक िक उसे बोडŊ Ȫारा यह हेतुक दिशŊत करने का युİƅयुƅ अवसर नहीं दे िदया गया हो िक उसे इस प्रकार Ɛों नहीं हटा िदया जाना चािहए और ऐसे हेतुक पर िवचार नहीं कर िलया गया होः

परȶु यह और िक िवʷिवȨालय के िकसी भी प्रािधकारी या िनकाय के राǛ सरकार Ȫारा नामिनदőिशत िकसी सदˢ के िवŜȠ ऐसी कारŊवाई करने के िलए राǛ सरकार का पूवŊ अनुमोदन आवʴक होगा ।

(4) यिद ऐसे िकसी ʩİƅ के संबंध मŐ जो बोडŊ के अधीनस्थ िवʷिवȨालय के िकसी भी प्रािधकारी के सदˢ के ʩप मŐ िनयुƅ या नामिनदőिशत िकया गया है या उसका सदˢ होने का हकदार है या इस अिधिनयम और पįरिनयमों के अधीन बोडŊ के िकसी भी िविनʮय के संबंध मŐ कोई प्रʲ उद्भूत होता है तो मामला कुलािधपित को, उसके िविनʮय के िलए िनिदŊʼ िकया जायेगा और कुलािधपित का िविनʮय अंितम होगा ।

40. **िवʷिवȨालय प्रािधकाįरयों और िनकायों की कायŊवािहयों का िकसी भी įरİƅ के कारण अिविधमाɊ नहीं होना.-** िवʷिवȨालय के िकसी भी प्रािधकारी या िनकाय का कोई कायŊ, या कायŊवाही उसके सदˢों मŐ िकसी įरİƅ की िवȨमानता के कारण या ऐसे िकसी ʩİƅ के कायŊवािहयों

मŐ भाग लेने के कारण, जो तîų◌ात् ऐसा करने का हकदार नहीं पाया जाता है, अिविधमािq नहीं होगी ।

41. **पदनाम मŐ पįरवतŊन की दशा मŐ सरकारी अिधकाįरयों के प्रित िनदőश का अथŊ तŮमान अिधकाįरयों के प्रित िनदőश के ŝप मŐ लगाया जाना.-** जहां इस अिधिनयम के या पįरिनयमों, अिधिनयमों या िविनयमों के िकसी भी उपबंध मŐ राǛ सरकार के िकसी अिधकारी का िनदőश पदनाम से हो वहां, यिद वह पदनाम पįरवितŊत कर िदया जाता है या वह पद अİˑ̾वहीन हो जाता है तो, उƅ िनदőश का अथŊ पįरवितŊत पदनाम या, यथाİस्थित, ऐसे तŮमान अिधकारी, जैसा राǛ सरकार िनिदŊ' करे, के प्रित िनदőश के ŝप मŐ लगाया जायेगा ।

42. **सूचना अिभप्राɑ करने की शİƅ.-** इस अिधिनयम या तŮमय प्रवृȅ िकसी अɊ िविध मŐ अंतिवŊ' िकसी बात के होते Šए भी राǛ सरकार, िलİखत आदेश Ȫारा, िवʷिवȨालय के कायŊकलापों से संबंिधत िकसी भी िवषय पर िवʷिवȨालय से कोई भी सूचना मंगा सकेगी और िवʷिवȨालय, यिद ऐसी सूचना उसके पास उपलɩ है तो ऐसी सूचना राǛ सरकार को युİƅयुƅ कालाविध के भीतर-भीतर देगा।

43. **वािषŊक įरपोटŊ.-** िवʷिवȨालय की वािषŊक įरपोटŊ कुलपित के िनदेश के अधीन तैयार की जायेगी और बोडŊ के सदˢों मŐ बोडŊ की वािषŊक बैठक, िजसमŐ उस पर िवचार िकया जाना है, के एक मास पूवŊ प्रचािलत की जायेगी । बोडŊ Ȫारा यथा- अनुमोिदत वािषŊक įरपोटŊ राǛ िवधान-मǷल के सदन के पटल पर रखे जाने के िलए राǛ सरकार को भेजी जायेगी ।

44. **पįरिनयम.-** इस अिधिनयम के उपबंधों के अȯधीन रहते Šए, पįरिनयमों मŐ िकसी भी मामले के िलए उपबंध िकया जा सकेगा और िविश'तयािनɻिलİखत के िलए उपबंध िकया जायेगा:-

(क) िवʷिवȨालय के प्रािधकाįरयों का गठन, शİƅयां और कतŊʩ;

(ख) िवʷिवȨालय के प्रािधकाįरयों के सदˢों की िनयुİƅ या नामिनदőशन और उनके पद पर बने रहने और इन प्रािधकाįरयों से संबंिधत ऐसे समˑ अɊ मामले, िजनके िलए उपबंध करना आवʴक या वांछनीय हो;

(ग) िवʷिवȨालय के अिधकाįरयों के पदनाम, िनयुİƅ की रीित, शİƅयां, कतŊʩ और सेवा शतő;

(घ) अȯापकों का वगŎकरण और उनकी िनयुİƅ की रीित और उनकी सेवा शतŒ और अहŊताए;

(ङ) िवʷिवȨालय के अिधकाįरयों, अȯापकों और अɊ कमŊचाįरयों के फायदे के िलए पŐशन, उपदान, बीमा और भिवˈ िनिधयों का गठन;

(च) सʃािनक उपािधयों का प्रदान िकया जाना;

(छ) िवभागों की स्थापना, समामेलन, उप-िवभाजन और समाİɑ;

(ज) िवʷिवȨालय Ȫारा संधाįरत छात्रावासों की स्थापना और उनकी समाİɑ;

(झ) ऐसी धनराशियां जो िवʷिवȨालय िनिध का भाग होंगी और उसमŐ संदȅ की जायŐगी और ऐसे मामले िजनमŐ िनिध उपयोिजत और िविनयोिजत की जा सकेगी;

(ञ) िवʷिवȨालय के अȯापकों की संƥा और उनकी-पįरलİɩयां, और उनकी सेवाओं और िक्रयाकलापों का अिभलेख तैयार करना और रखना;

(ट) िवʷिवȨाल के कायŊ मŐ िनयोिजत ̆िƅयों को संदȅ िकये जाने वाले पाįरश्रिमक और भȅे, िजनमŐ यात्रा और दैिनक भȅे भी सİʃिलत है; और

(ठ) ऐसे अɊ सम˃ मामले िजनके िलए इस अिधिनयम Ȫारा उपबंध िकये जाने की अपेƗा की गयी है या उपबंध िकया जा सकेगा, या जो अिडŊनेɌों और िविनयमों से अɊथा िविहत िकये जा सकŐगे।

45. **पįरिनयम कैसे बनाये जायŐगे.-** (1)पįरिनयम बोडŊ Ȫारा, इसमŐ आगे उपबंिधत रीित से बनाये, संशोिधत या िनरिसत िकये जा सकŐगे।

(2) बोडŊ, िकसी पįरिनयम के प्राŝप पर या तो ˢप्रेरणा से या िवʷिवȨालय के िकसी भी प्रािधकारी Ȫारा प्र˥ाव िकये जाने पर, िवचार कर सकेगा।

(3) बोडŊ, यिद वह आवʴक समझे, िकसी प्राŝप पįरिनयम के बारे मŐ, जो उसके समƗ िवचार के िलए है, िवʷिवȨालय के िकसी भी अिधकारी, प्रािधकारी या िनकाय की राय भी अिभप्राɑ कर सकेगा।

(4) बोडŊ Ȫारा पाįरत िकया गया प्रȑेक पįरिनयम कुलािधपित को प्र˜ुत िकया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमित दे सकेगा या उसे रोक सकेगा या उसे पुनिवŊचार के िलए बोडŊ के पास वापस भेज सकेगा।

(5) बोडŊ Ȫारा पाįरत िकया गया कोई भी पįरिनयम तब तक िविधमाɊ या प्रवृȅ नहीं होगा जब तक िक कुलािधपित Ȫारा उस पर अनुमित न दे दी जाये।

(6) पूवŊगामी उप-धारा मŐ अȶिवŊ' िकसी बात के होने पर भी, कुलािधपित, या तो ˢप्रेरणा से या राǛ सरकार की सलाह पर, उसके Ȫारा िविनिदŊ' िकसी भी मामले के बारे मŐ पįरिनयमों मŐ उपबंध करने के िलए िवʷिवȨालय को िनदेश दे सकेगा और यिद बोडŊ ऐसे िकसी िनदेश को उसकी प्राİɑ के साठ िदवस के भीतर-भीतर िक्रयाİɋत करने मŐ िवफल रहता है तो कुलािधपित, बोडŊ Ȫारा ऐसे िनदेश का पालन करने मŐ उसकी असमथŊता के िलए संसूिचत कारणों, यिद कोई हों, पर िवचार करने के पʮात्, पįरिनयम बना सकेगा या उɎŐ समुिचत ŝप से संशोिधत कर सकेगा।

46. **अिडŊनेɌ.-** इस अिधिनयम और पįरिनयमों के उपबंधों के अȯधीन रहते Šए, अिडŊनेɌों मŐ िनɻिलİखत सम˃ या िकɎीं भी मामलों के िलए उपबंध िकया जा सकेगा, अथाŊत्:-

(क) पाǬक्रम, छात्रों का प्रवेश या नामांकन, िकसी भी उपािध, िडɘोमा, प्रमाणपत्र या अȯेतावृिȅ के िलए अपेिƗत फीस, अहŊताएं या शतŒ;

(ख) परीÆकों की िनयुिb और उनके िनबंधनों और शतŘ को साÛिलत करते Šए परीÆाओं का संचालन;

(ग) िवʷिवȨालय Ȫारा चलाये जाने वाले या संधाįरत िकसी छात्रावास या अɊ िनवास-स्थान मŐ िनवास करने के िलए शतŒ, उनके िलए प्रभारों का उ̡हण और अɊ संबंिधत मामले;

(घ) िवʷिवȨालय Ȫारा चलाये या संधाįरत न िकये जाने वाले छात्रावासों को माɊता और उनका पयŊवेÆण; और

(ङ) ऐसा कोई भी अɊ मामला िजस पर इस अिधनियम या पįरनियमों Ȫारा िवʷिवȨालय के आिडŊनेɌों के Ȫारा या अधीन िवचार िकया जाना अपेिÆत हो ।

47. **आिडŊनेɌ कैसे बनाये जायŐगे.-** (1)बोडŊ, इसमŐ इसके आगे उपबंिधत रीित से आिडŊनेɌ बना सकेगा, संशोिधत या िनरिसत कर सकेगा ।

(2) बोडŊ Ȫारा शैÆिणक मामलों से संबंिधत कोई भी आिडŊनेɌ तब तक नहीं बनाये जायŐगे जब तक िक उनका कोई प्राŝप िवȨा पįरषद् Ȫारा प्र˖ािवत नहीं िकया गया हो ।

(3)बोडŊ को उप-धारा (2) के अधीन िवȨा पįरषद Ȫारा प्र˖ािवत िकसी भी प्राŝप का संशोधन करने की शिb नहीं होगी िकɒु वह उसे, भागतः या पूणŊतः, नामंजूर कर सकेगा या ऐसे िकɎीं भी संशोधनों के साथ, िजनका बोडŊ सुझाव दे, पुनिवŊचार के िलए िवȨा पįरषद् को लौटा सकेगा ।

(4) बोडŊ Ȫारा बनाये गये सम˖ आिडŊनेɌ ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह िनिदŊʼ करŐ, िकɒु इस प्रकार बनाया गया प्रȑेक आिडŊनेɌ दो सɑाह के भीतर-भीतर, कुलािधपित को प्र˖ुत िकया जायेगा । कुलािधपित को आिडŊनेɌकी प्राİɑ के चार सɑाह के भीतर-भीतर उसके प्रवतŊन को िनलंिबत करने का बोडŊ को िनदेश देने की शिb होगी और वह यथासंभव शीघ्र उस पर अपने आÆेप के बारे मŐ बोडŊ को सूिचत करेगा । वह बोडŊ की िटɔिणयां प्राɑ होने के पʮात् या तो आिडŊनेɌ को िनलंिबत करने वाला आदेश वापस ले सकेगा या आिडŊनेɌ को अननुǒात कर सकेगा और उसका िविनʮय अंितम होगा

48. **िविनयम.-** (1)िवʷिवȨालय का प्रȑेक प्रािधकारी इस अिधनियम और पįरनियम और आिडŊनेɌ से संगत िविनयम िनɻिलांखत के िलए बना सकेगा-

(क) अपनी बैठक मŐ अनुपालन की जाने वाली प्रिक्रया और गणपूितŊ के िलए अपेिÆत सदˢों की संƥा अिधकिथत करना;

(ख) ऐसे सम˖ मामलों के िलए उपबंध करना िजनके िलए इस अिधनियम और पįरनियम या आिडŊनेɌोंȪारा, उस प्रािधकारी के Ȫारा िविनयमों Ȫारा उपबंध िकये जाने हœ; और

(ग) ऐसे िकसी भी अɊ मामले के िलए उपबंध करना जो केवल ऐसे प्रािधकारी से संबंिधत हो और िजसके िलए इस अिधनियम और पįरनियमों या आिडŊनेɌोंȪारा उपबंध नहीं िकया गया हो ।

(2) िवश्िवEालय का प्रत्ेक प्रािधकारी ऐसे प्रािधकारी के सद×ोिं को, बैठकों की तारीखों का और उन बैठकों मŐ िकये जाने वाले कायŘ का नोिटस देने के िलए और बैठकों की कायŊवाही का अिभलेख रखने के िलए उपबंध करते Šए िविनयम बनायेगा ।

(3) बोडŊ, इस धारा के अधीन िवश्िवEालय के िकसी भी प्रािधकारी Ő ारा बनाये गये िकYी भी िविनयमों मŐ, ऐसी रीित से, जो वह िविनिदŊ' करे, संशोधन करने के िलए या उनके बाितलकरण के िलए िनदेश दे सकेगा ।

49. **शıbयों का प्रत्ायोजन.-** बोडŊ, इस अिधिनयम Ő ारा उसे प्रदë शıbयों मŐ से कोई भी शıb िकसी भी अिधकारी या प्रािधकारी को, ऐसे िनबंधनों और शतŘ के अधीन रहते Šए, जो िविहत की जायŐ, प्रयोग की जाने के िलए पįरिनयमों Ő ारा, प्रत्ायोिजत कर सकेगा ।

50. **अस्थायी ſŊवस्थाए.-** (1)इस अिधिनयम के प्रारंभ होने के पʮात् िकसी भी समय और ऐसे समय तक, जब तक िवश्िवEालय के प्रािधकाįरयों का सƶक् ŝप से गठन नहीं हो जाता, िवश्िवEालय के िकसी भी अिधकारी को ऐसे िकसी भी प्रािधकारी के कतŊſोिं का पालन करने के िलए, कुलािधपित के पूवŊ अनुमोदन से, कुलपित Ő ारा िनयुb िकया जा सकेगा ।

(2) कुलपित अस्थायी िनयुıbयां, ऐसी िनयुıbयां करने के पʮात् होने वाली बोडŊ की आगामी बैठक मŐ बोडŊ के अनुमोदन के अधीन रहते Šए, कर सकेगा ।

51. **अविश' उपबंध.-** बोडŊ को ऐसे िकसी भी मामले पर कायŊवाही करने का प्रािधकार होगा जो िवश्िवEालय से संबंिधत हो और िजसके सƢ मŐ इस अिधिनयम मŐ िविनिदŊ' ŝप से िवचार नहीं िकया गया है। ऐसे सम· मामलों पर बोडŊ का िविनʮय, कुलािधपित Ő ारा पुनरीƗण के अधीन रहते Šए, अंितम होगा और वह िकसी भी Ɋायालय या अिधकरण मŐ आƗेपणीय नहीं होगा ।

52. **किठनाइयों का िनराकरण.-** (1)राǛ सरकार, इस अिधिनयम के अƫगŊत आने वाले Ɨेत्र और मामलों मŐ िकYीं भी किठनाइयों के िनराकरण के प्रयोजन के िलए राजपत्र मŐ प्रकािशत आदेश Ő ारा,-

(क) िनदेश दे सकेगी िक यह अिधिनयम ऐसी कालाविध के दौरान, जो आदेश मŐ िविनिदŊ' की जाये, ऐसे अनुकूलनों के, जो चाहे उपांतरण, पįरवधŊन या लोप के ŝप मŐ हों, और जो इस अिधिनयम से संगत हों, अधीन रहते Šए, िजYŐ वह आवʴक या समीचीन होना ठीक समझे, प्रभावी होगा; या

(ख) ऐसे िनदेश दे सकेगी, जो उसे ऐसी किठनाइयों, जो इस अिधिनयम के उपबंधों को प्रभावी करने मŐ उद्भूत हों, के िनराकरण के िलए आवʴक प्रतीत हो; या

(ग) ऐसी िकYीं भी किठनाइयों का िनराकरण करने के प्रयोजन के िलए ऐसे अɊ अस्थायी उपबंध कर सकेगी िजYŐ वह आवʴक या समीचीन होना ठीक समझे;

परƢु ऐसा कोई भी आदेश इस अिधिनयम के प्रारंभ की तारीख से बारह मास के पʮात् नहीं िकया जायेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन िकये गये सम· आदेश राÜ िवधान-मÞल के सदन के समÆ चौदह िदवस की ऐसी कालाविध के िलए, जो एक सत्र मŐ या दो उÞरोÞर सत्रों मŐ समािव' हो सकेगी, रखे जायŐगे और यिद, उस सत्र की, िजसमŐ वे इस प्रकार रखे गये हœ, या ठीक अगले सत्र की समाiα के पूवÐ राÜ िवधान-मÞल का सदन ऐसे आदेशों मŐ से िकसी आदेश मŐ कोई उपांतरणए करता है या यह संकÆ करता है िक ऐसा कोई आदेश नहीं िकया जाना चािहए तो तîµात् ऐसा आदेश केवल ऐसे उपांतiरतßप मŐ प्रभावी होगा या, यथाiस्थित, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथािप, ऐसा कोई भी उपांतरण या बाितलकरण उसके अधीन पूवÐ मŐ की गयी िकसी भी बात की िविधमाQता पर कोई प्रितकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

(3) यिद इस अिधिनयम के या इस अिधिनयम के अधीन बनाये गये िकYीं भी पiरिनयमों या अिडÐनेRों या िविनयमों के िकYीं भी उपबंधों के िनवÐचन के संबंध मŐ या इस िवषय मŐ िक आया कोई ßjÌb िव³िवÆालय के िकसी भी प्रािधकारी या अQ िनकाय के सद× के ßप मŐ सÚक् ßप से िनयुb िकया गया है या सद× होने का हकदार है, कोई प्र³ उद्भूत होता है तो वह मामला कुलािधपित को िनिदÐ' िकया जा सकेगा और यिद कुलपित और बोडÐ के कोई भी दस सद× ऐसी अपेÆा करŐ तो, िनिदÐ' िकया जायेगा । कुलािधपित, राÜ सरकार से ऐसी सलाह लेने के पµात्, जो वह आव³क समझे, ऐसे प्र³ का िविनµय करेगा और उसका िविनµय अंितम होगा ।

महावीर प्रसाद शमाÐ,
प्रमुख शासन सिचव।